

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1902

गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

पवन और हाइब्रिड नीति

1902. श्री लल्लू सिंह:

श्री सुदर्शन भगत:

श्री तीरथ सिंह रावत:

श्री राजेश वर्मा:

डॉ. सत्यपाल सिंह:

श्री हंसमुखभाई एस. पटेल:

श्री धर्मेन्द्र कश्यप: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पवन सौर हाइब्रिड नीति के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत किन्हीं परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) सरकार ने 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जारी की थी। नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण अवसंरचना और भूमि के अनुकूल और कुशल उपयोग के लिए बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करना है। नीति का उद्देश्य पवन और सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त संचालन से जुड़ी नई प्रौद्योगिकियों, तरीकों और उपायों को प्रोत्साहित करना भी है।

(ख) राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति की प्रमुख विशेषताओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं;

1. इंडक्शन जनरेटर का उपयोग करके, ग्रिड से जुड़े स्थायी स्पीड विंड टर्बाइनों के मामले में, एसी आउटपुट बस में एचटी साइड पर एकीकरण हो सकता है। तथापि, जनरेटर को ग्रिड से जोड़ने के लिए इनवर्टर, लगाए गए वेरिअबल स्पीड विंड टर्बाइनों के मामले में, पवन और सौर पीवी प्रणाली को एसी-डीसी-एसी कन्वर्टर की मध्यवर्ती डीसी बस से जोड़ा जा सकता है।
2. पवन-सौर हाइब्रिड संयंत्रों का आकार संसाधन विशेषताओं पर निर्भर करेगा। तथापि, एक पवन-सौर संयंत्र को हाइब्रिड संयंत्र तभी माना जाएगा, यदि एक संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता अन्य संसाधन की रेटेड विद्युत क्षमता का कम-से-कम 25% है।
3. हाइब्रिड परियोजना का लाभ लेने के लिए क्रमशः सौर पीवी संयंत्र या विंड टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) की स्थापना करने के इच्छुक मौजूदा पवन या सौर विद्युत परियोजनाओं को नीति के तहत ऐसा करने की सशर्त अनुमति है।
4. बैटरी स्टोरेज को हाइब्रिड परियोजना के साथ (i) पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र से उत्पादित विद्युत की परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए; (ii) पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र में पवन और सौर विद्युत की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके, वितरण बिंदु पर दी गई क्षमता (बोली/स्वीकृत क्षमता) के लिए उच्च ऊर्जा उत्पादन प्रदान करने के लिए; और (iii) किसी विशेष अवधि के लिए सतत विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जोड़ा जा सकता है।

(ग) अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए), अर्थात् सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड ने सौर पवन हाइब्रिड परियोजनाओं, पीक घंटों के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति के साथ सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाओं और चौबीसों घंटे (आरटीसी) अक्षय ऊर्जा से संबंधित निविदाएं जारी की हैं। दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.44 गीगावाट हाइब्रिड परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं।
